रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273399
CG-DL-E-12062026-273399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 406] | नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948 |
| No. 406] | NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISTHA 19, 1948 |


## कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

## (कृषि और किसान कल्याण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

**सा.का.नि. 453(अ).—** कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्लिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में, यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त मसौदा नियमों के संदर्भ में, आपत्तियां तथा सुझाव संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को अथवा muktanand.ias08@nic.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाएँ।

**प्रारूप नियम**

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों को कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है, के नियम 19 में उप-नियम (1) में,-

(1) खंड (i) (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) कीटनाशी का नाम (ब्रांड नाम या व्यापारिक नाम जिसके तहत कीटनाशी की बिक्री का जाती है)। लेबल पर सामान्य नाम और ब्रांड नाम का आकार समान रूप से प्रदर्शित होना चाहिए, परंतु सामान्य नाम ब्रांड नाम के नीचे रखा जाना चाहिए और इसके द्वारा पैनल के अग्रभाग के बीस प्रतिशत से अधिक क्षेत्र धारित नहीं किया जाना चाहिए।"

(2) खंड (i) के नोट II के स्थान पर निम्नलिखित नोट रखा जाएगा, अर्थात

"नोट II: क. मद (प) के उपबंध विधिक माप विज्ञान (पैकेट में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अतिरिक्त हैं।

ख. रजिस्ट्रीकरण समिति की स्वीकृति के बाद लेबल पर अतिरिक्त जानकारी दी जा सकेगी।

ग. न्यूनतम आकार के लेबलों के लिए लेबल के निचले भाग में कम से कम एक वर्ग सेंटीमीटर आकार के सभी प्रासंगिक सुरक्षा चित्र (तीसरी अनुसूची में चित्र I देखें) अंकित किए जाएंगे। बड़े आकार के लेबलों के लिए दाहिने पैनल के निचले भाग में चित्र आनुपातिक रूप से बड़े होंगे। इन्हें लेबल पर केवल एक बार मुद्रित किया जाएगा। छोटे और अत्यंत छोटे लेबलों के लिए चित्र पत्रक पर मुद्रित किए जाएंगे और लेबल पर 'सुरक्षा चित्रों के लिए कृपया पत्रक देखें' लिखा जाएगा।"

(3) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) लेबल पर अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में अमिट स्याही से स्पष्ट रूप से मुद्रित किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, और फ़ॉन्ट का आकार नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित आकार से कम नहीं होगा:

| क्रम संख्या | पैकेज का आकार | प्राथमिक | | द्वितीयक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अंग्रेज़ी | हिंदी | अंग्रेज़ी | हिंदी |
| (1) | बड़ा | 7 | 7 | 7 | 7 |
| (2) | छोटा | 5 | 6 | 7 | 7 |
| (3) | अत्यंत छोटा | 5 | 6 | 7 | 7 |

परंतु अत्यंत छोटे पैक के लिए, ब्रांड नाम, सामान्य नाम और कीटनाशी के एंटीडोट जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकते हैं, को छोड़कर, लेबल केवल अंग्रेजी में मुद्रित किया जा सकता है।

3. उप-नियम (3) के बाद, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

**"स्पष्टीकरण.-** उप-नियम (1) और उप-नियम (3) के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि,-

(i) कोई भी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक उक्त नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद, कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुरूप न होने वाले लेबल या पत्रक का उपयोग नहीं करेगा।

(ii) कीटनाशी या उसके पैकेज पर लगा कोई भी लेबल या पत्रक, जो कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, का उक्त नियमों के लागू होने की तिथि से तीस महीने की अवधि के बाद वितरण, विक्रय, बिक्री के लिए प्रदर्शन या भंडारण नहीं किया जाएगा और उक्त अवधि की समाप्ति के बाद यह स्पष्टीकरण समाप्त हो जाएगा, जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

[फा. सं. 13035/21/2013-पीपी-I (खंड-II)]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650 (अ) दिनांक 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा.का.नि. 139 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th June, 2026

**G.S.R. 453(E).—** The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at muktanand.ias08@nic.in.

**Draft Rules**

1. **Short title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, herein after referred to as the principal rules, in rule 19, in sub-rule (1),-

(1) for clause (i) (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) *name of insecticide (brand name or trade name under which the insecticide is sold). The common name and brand name size on the label shall be of equal prominence, provided that the common name shall be placed below the brand name and it should not occupy more than twenty percent of area of the face of the panel."*

(2) for Note II of clause (i), following Note shall be substituted, namely:

"Note II: A. The provisions of item (u) are in addition to the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011

B. Additional information may be added to the Label after approval by the Registration Committee.

C. All relevant safety pictograms (**refer picture I in the THIRD SCHEDULE**) of size not less than one square centimetre at the bottom of the label in respect of labels of minimum size. The pictograms shall be proportionately bigger in respect of labels of bigger size at the bottom of the right side panel. They shall be printed only once on the label. For small and ultra small labels the pictograms shall be printed on leaflet and the words 'Please refer leaflet for safety pictograms' shall be mentioned on label."

(3) for clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) The label shall be printed legibly with indelible ink in English and Hindi languages unless stated otherwise in the font sizes not less than the size prescribed as below:

| Sl. No. | Package Size | Primary | | Secondary | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | English | Hindi | English | Hindi |
| (1) | Big | 7 | 7 | 7 | 7 |
| (2) | Small | 5 | 6 | 7 | 7 |
| (3) | Ultra Small | 5 | 6 | 7 | 7 |

Provided that for ultra small pack, label may be printed in English only, except Brand name, Common Name and antidote of insecticide, which may be both in Hindi and English."

3. after sub-rule (3), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-

"**Explanation.-** For the purposes of sub-rule (1) and sub-rule (3), it is hereby clarified that,-

(i) no registration certificate holder shall use a label or leaflet, which is not in accordance with the provisions of the Insecticides (Amendment) Rules, 2026, after a period of six months from the date of commencement of the said Rules.

(ii) no insecticides or its package bearing a label or leaflet, which is not in accordance with the provisions of the Insecticides (Amendment) Rules, 2026, shall be distributed, sold, exhibited for sale or stocked, after a period of thirty months from the date of commencement of the said rules and this explanation shall cease to exist after expiry of the said period, unless otherwise directed."

[F. No. 13035/21/2013-PP-I (Volume-II)]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant Protection)

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was last amended *vide* G.S.R 139 (E) dated 19th February, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA